e-Mail
Regd.

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

आदेश

3जी0 / (आरोप)अजा0अजजा0(राज0)–07 / 15–   पटना, दिनांक–

श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा, सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रवृत्ति के वितरण में अनियमितता के आरोप की जॉच उप विकास आयुक्त, नवादा द्वारा की गई। जॉंचोपरांत प्रतिवेदित किया गया कि "अंचल अधिकारियों से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा द्वारा अनु0 जाति के जिन 60 छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि दी गयी है, का जाति एवं आवासीय पता का सत्यापन के पश्चात 59 छात्र जॉंच में नहीं पाये गये।"

मामले की जॉंच तत्कालीन विभागीय उप सचिव तथा विभागीय विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा भी की गई। जॉंच प्रतिवेदन में वैसे संस्थान जिनमें अनु0 जाति के उक्त 60 छात्र अध्ययनरत दिखाये गये थे, उनमें (1) डोर विजनेस स्कूल जीवनगढ़ देहरादून (2) ग्रेट भेल्यू इन्स्टीचयूट ऑफ टेकनॉलाजी राजवाला रोट, सेलाकोई, देहरादून (3) श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लाईन जीवनगढ़ विकास नगर, देहरादून (4) ज्ञान सरोवर इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, तेलपुरा सेलाकोई, देहरादून (5) गुरूनानक ग्रुप ऑफ इन्स्टीच्यूट, सेंट्रल होपटाउन, राजा रोड, देहरादून (6) रिम्ट इन्स्टीच्यूट ऑफ सांइस एण्ड टेक्नालॉजी, भोपाल नामक संस्थान अस्तित्व में नहीं पाये गये, अर्थात उपरोक्त संस्थान फर्जी पाये गये। श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा द्वारा उपरोक्त फर्जी संस्थानों के फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राशि चेक द्वारा निर्गत किया गया।

2– जॉंच प्रतिवेदन में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0–2248 दि0–19.11.15 द्वारा श्री पाण्डेय को निलम्बित किया गया। मामले की गंभीरता के मद्देनजर श्री पाण्डेय, जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध नवादा जिले में वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 60 फर्जी छात्रों का छात्रवृत्ति 50 प्रतिशत कमीशन लेकर फर्जी आवेदन पर करोड़ों रूपये का गबन के आरोप में प्रपत्र 'क' का गठन कर विभागीय संकल्प सं0–2556 दिनांक–18.12.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस मामले में नवादा नगर थाना कांड सं0–786 / 15 दिनांक–19.02.15 अंतर्गत

धारा– 409/420/467/468/471 भा0द0वि0 दर्ज किया गया। पुनः जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा के पदनामित भारतीय स्टेट बैंक, नवादा के खाता से फर्जी चेकों द्वारा सरकारी राशि की अवैध निकासी से सम्बन्धित प्राथमिकी नवादा नगर थाना कांड सं0–232/16 दिनांक–12.04.16 अंतर्गत धारा–406/409/420/120(बी0)/467/468/471 भा0द0वि0 दर्ज की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना ने अपने जाँच प्रतिवेदन/अधिगम में प्रपत्र 'क' में अंकित, फर्जी छात्रों की छात्रवृत्ति 50 प्रतिशत कमीशन लेकर फर्जी आवेदन पर करोड़ो रूपये गबन किये जाने, राज्य के बाहर 12 (बारह) संस्थानों को अवैध रूप से भुगतान किये जाने सहित सभी अन्य आरोपों को प्रमाणित पाया। विभागीय पत्रांक–2092 दिनांक–03.08.16 द्वारा जाँच प्रतिवेदन/अधिगम की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री दिनेश कुमार पाण्डेय से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री पाण्डेय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरान्त पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये सरकार के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में से एक छात्रवृत्ति योजना की राशि को आपराधिक षड़यंत्र के तहत् फर्जी संस्थानों एवं फर्जी छात्रों के फर्जी आवेदनों को आधार बनाकर करोड़ों रूपये की राशि का बंदरबाट किया गया है और अवैध राशि की निकासी की गयी।

3– उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (सी0सी0ए0) नियमावली, 2005 के नियम–14 (XI) के अंतर्गत श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा, (मूल पद–अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी) सम्प्रति निलंबित को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

18.7.17

(गौतम पासवान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–3जी0/(आरोप)अजा0अजजा0(राज0)–07/15–1771 पटना, दिनांकः– 18.7.17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (वित्त विभाग) बिहार सरकार, पटना को राज– पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18.7.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–3जी0 / (आरोप)अजा0अजजा0(राज0)–07 / 15– 1771 पटना, दिनांकः– 18.7.17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा / जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.7.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–3जी0 / (आरोप)अजा0अजजा0(राज0)–07 / 15– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–(1) प्रमंडलीय आयुक्त, पटना

(2) जिला पदाधिकारी, नवादा

(3) उप निदेशक कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना

(4) उप निदेशक कल्याण, मगध प्रमंडल, गया

(5) जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा

(6) माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, पटना के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त सचिव (प्रभारी राजपत्रित स्थापना शाखा) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, पटना / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, पटना के निजी सहायक / अवर सचिव (प्रभारी राजपत्रित स्थापना शाखा) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.7.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–3जी0 / (आरोप)अजा0अजजा0(राज0)–07 / 15– 1771 पटना, दिनांकः– 18.7.17

प्रतिलिपिः–दिनेश कुमार पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा, सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय– उप निदेशक कल्याण का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.7.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–3जी0 / (आरोप)अजा0अजजा0(राज0)–07 / 15– 1771 पटना, दिनांकः– 18.7.17

प्रतिलिपिः–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय बेवसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.7.17

सरकार के संयुक्त सचिव।